13/11/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत उत्तर...

प्रार्थना पत्र मामलात विरुद्ध औचित्य स्वीकार...

किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा...

जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली...

हेतु जरिये दाखिल रिकार्ड में भेजा जावे दाखिल...

किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

तारीख रजु:–20.09.2023

मु0न0:–36 / 23

उनवान

1. विक्रम धाबाई पुत्र यशवेन्द्र सिंह उम्र 45 साल जाति गुर्जर निवासी सर्किट हाउस के पास करौली तहसील व जिला करौली
2. सुधीर पुत्री ऋषिराम मीना उम्र 28 वर्ष जाति मीना निवासी बडापुरा भावली तहसील व जिला करौली

–सायलान

बनाम

1. मांगीलाल उम्र 61 वर्ष] पुत्रानी विच्छू
2. रामप्रसाद उम्र 51 वर्ष]
3. भिक्की पुत्री देवीलाल उम्र 53 वर्ष समस्त जातियान मालीयान निवासीयान दीवान का बाग, पुराने पॉवर हाउस के सामने करौली तहसील व जिला करौली
4. महेन्द्र गुप्ता तत्कालीन नायब तहसीलदार करौली निवासी आर्शीवाद मैरिज गार्डन के पीछे करौली तहसील व जिला करौली
5. महेन्द्र जैन लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली हाल पदस्थापित महवा तहसील जिला करौली

–गैरसायलान

दर. ब्रीच अंतर्गत आदेश 39 रूल 2 ए सीपीसी

–::निर्णय::–

दिनांक:– 13/11/2?

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान द्वारा एक वाद संख्या /22 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान में मय दर. 212 टी एक्ट मु0नं. 28/2022 पेश किये जिनमें से दर. 212 आर टी एक्ट में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पर सुना जाकर दिनांक 24.08.2022 को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा श इस आशय जारी किया गया कि "आगामी तिथि तक गैर सायलान रिकॉर्ड व मौके की ति यथावत बनाये रखेगे एवं किसी को रीति–नीति से अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करेंगे।" रण में आगामी तारीख पेशी जनरल नोटिस से बढाई गई और इसी प्रकार आगामी वाही चलती रही। प्रकरण दर. 212 आर टी एक्ट मु0न0 28/2022 में दिनांक 14.11. 2 को गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्रीमान प्रकाश एडवोकेट ने अपनी स्थिति दी एवं गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 की ओर से मुकेश जी वकील साहब द्वारा क से वकालतनामा प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। गैरसायलान को अंतरिम धाज्ञा आदेश की जानकारी दिनांक 17.11.2022 से पूर्व ही हो गई थी और इसी प्रकार रिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी रहा और उक्त आदेश को आज तक कभी विस्तृत आदेश के जरिये अप्राप्त अथवा निरस्त नहीं किया गया अर्थात उक्त एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

िम आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त अंतरिम एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.08.2022 की यलान को भली–भांति जानकारी प्रारम्भ से रही है। उसके बावजूद गैरसायलान द्वारा ी मिलीभगत करके दिनांक 21.06.2023 के दिवस प्रकरण में विवादित आराजीयात में से के हक हिस्से का बेचान रामनिवास पुत्र मांगीलाल गुर्जर, रामवीर पुत्र भरतसिंह गुर्जर व ज पुत्र रामकेश मीना को जरिये पंजीकृत वयनामा वय कर दिया जिसका नामांतकरण भी क 06.07.2023 को खोला जाकर रिकॉर्ड में तब्दीली कर दी गई। उक्त संपूर्ण साजीपूर्ण की गई कार्यवाही में गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार (सब ट्रार) महेन्द्र गुप्ता व तहसीलदार महेन्द्र जैन के सहयोग से किया एवं न्यायालय आदेश क 24.08.2022 की अवहेलना सभी गैरसायलान द्वारा जान बूझकर कारित की गई। विधि ह सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक बार जारी किये गये स्थगन आदेश को विस्तृत एवं विवेचन के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर ही अपाप्त किया जाकर और पेशी पर हर बार स्थगन बढाए जाने का नोट आदेशिका में करना आवश्यक नहीं है। प्रकार उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2022 आज भी प्रभावी है। सभी यलान द्वारा जान बूझकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुये रिकॉर्ड में तब्दीली की गई तथा उक्त दौराने प्रकरण हुये बेचान के आधार पर नवीन क्रेतागण मौके पर ब्दीली करने को उतारू है। इस कारण गैरसायलान न्यायालय आदेश दिनांक 24.08.2022 अवहेलना के दोषी है जिसके लिये उनकी चल–अचल संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाना आवश्यक है। जिसका खर्चा ाण वहन करने को तैयार है। अंत में दोषियों को दण्डित करने का निवेदन किया है।

दर0 वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान नंबर 1 ता 3 की बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायलान नंबर 1 ता 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही ई और गैरसायलान नंबर 4 व 5 का जबाव बंद किया गया।

बहस वकील सायलान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस में कथन है कि सायलान द्वारा एक वाद संख्या 32/22 त धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान में मय दर. 212 आर टी मु0नं. 28/2022 पेश किये जिनमें से दर. 212 आर टी एक्ट में एक पक्षीय बहस अंतरिम ज्ञा पर सुना जाकर दिनांक 24.08.2022 को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश इस जारी किया गया कि "आगामी तिथि तक गैर सायलान रिकॉर्ड व मौके की स्थिति त बनाये रखेगे एवं किसी को रीति–नीति से अन्यत्र हस्त[illegible] करेंगे।" प्रकरण में ी तारीख पेशी जनरल नोटिस से बढाई गई और इसी प्रकार [illegible] चलती प्रकरण दर. 212 आर टी एक्ट मु0नं0 28/2022 में दिनांक 14.11.2022 को यलान संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्याम प्रकाश गर्ग एडवोकेट ने अपनी उपस्थिति वं गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 की ओर से मुकेश जी वकील साहब द्वारा पृथक से तनामा प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। गैरसायलान को अंतरिम निषेधाज्ञा की जानकारी दिनांक 17.11.2022 से पूर्व ही हो गई थी और इसी प्रकार अंतरिम ज्ञा आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी रहा और उक्त आदेश को आज तक कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

त आदेश के जरिये अप्राप्त अथवा निरस्त नहीं किया गया अर्थात उक्त एकपक्षीय अंतरिम श आज भी प्रभावी है। उक्त अंतरिम एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.08.2022 की ायलान को भली–भांति जानकारी प्रारम्भ से रही है। उसके बावजूद गैरसायलान द्वारा सी मिलीभगत करके दिनांक 21.06.2023 के दिवस प्रकरण में विवादित आराजीयात में से के हक हिस्से का बेचान रामनिवास पुत्र मांगीलाल गुर्जर, रामवीर पुत्र भरतसिंह गुर्जर व ाज पुत्र रामकेश मीना को जरिये पंजीकृत वयनामा वय कर दिया जिसका नामांतकरण भी क 06.07.2023 को खोला जाकर रिकॉर्ड में तब्दीली कर दी गई। उक्त संपूर्ण साजीपूर्ण की गई कार्यवाही में गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार (सब स्ट्रार) महेन्द्र गुप्ता व तहसीलदार महेन्द्र जैन के सहयोग से किया एवं न्यायालय आदेश क 24.08.2022 की अवहेलना सभी गैरसायलान द्वारा जान बूझकर कारित की गई। विधि यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक बार जारी किये गये स्थगन आदेश को विस्तृत एवं विवेचन के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर ही अपाप्त किया जाकर और क पेशी पर हर बार स्थगन बढाए जाने का नोट आदेशिका में करना आवश्यक नहीं है। प्रकार उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2022 आज भी प्रभावी है। सभी ायलान द्वारा जान बूझकर न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुये रिकॉर्ड में तब्दीली त की गई तथा उक्त दौराने प्रकरण हुये बेचान के आधार पर नवीन क्रेतागण मौके पर तब्दीली करने को उतारू है। इस कारण गैरसायलान न्यायालय आदेश दिनांक 24.08.2022 अवहेलना के दोषी है जिसके लिये उनकी चल–अचल संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें –तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाना आवश्यक है। जिसका खर्चा गण वहन करने को तैयार है। अंत में दोषियों को दण्डित किया जावे।

बहस वकील सायलान का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व य का विवेचन किया गया। जिससे गैरसायलान को अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 14.08.2022 जानकारी होना दिनांक 21.06.2023 तक साबित करने में सायलान असफल रहे है एवं सायलान की कब्जे की होना प्रार्थना–पत्र में बताया गया है और गैरसायलान का हिस्सा दर्ज किया गया है। स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2022 में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति वत बनाये रखने का जारी किया गया है। इस प्रकार सायलान ने ऐसा कोई दस्तावेज वली में पेश नहीं किया है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायलान द्वारा परिवर्तन किया हो। इससे न्यायालय आदेश की अवहेलना होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थना पत्र लान चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर या गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटकासिम (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested